FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

**नाम अदालत** अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर मुकाम अलवर

**उनवान** कम्पूरी वगै. **बनाम** लक्ष्मीदेवी वगै.

**किस्म मुकदमा** अपील इंतकाल **नम्बर** 11/25/2014 **दायर दिनांक** – 01.05.2014

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.10.2019 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा पेश प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि हम अपीलांटान् के मु0 गेंदी व स्व0 बोदा हमारे माता–पिता थे। जिनकी हम अपीलांटान् जायज वारिसान है। जबकि स्व0 गिर्राज पुत्र परता नाई को हमारे माता–पिता ने कभी गोद नहीं लिया किन्तु स्व0 गिर्राज ने तत्कालीन तहसीलदार से साज–बाज होकर मु0 गेंदी के इंतकाल विरासत सं. 161 में काट–छांट करवाकर तथा हमारे नाम को कटवाकर अपने आप को मु0 गेंदी के गोद जाना बताते हुए पिता मुतबन्ना का गलत इंद्राज कराया है। उक्त आदेश तहसीलदार राजगढ़ द्वारा हम अपीलांट को बिना सुने बाला–बाला पारित किया है। हम अपीलांटान् अधीनस्थ न्यायालय में ना तो अपना पक्ष रख सके ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सके। इसलिए प्रा0पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर रहे है। जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाकर सबूत अपीलांट पढ़ा जावें। वकील अपीलांटान् द्वारा प्रा0पत्र इजाजत अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि हम अपीलांटान् मु0 गेंदी व स्व0 बोदा हमारे माता–पिता थे। जिनकी हम जायज वारिसान है। जबकि स्व0 गिर्राज पुत्र परता नाई को हमारे माता–पिता ने कभी गोद नहीं लिया किन्तु स्व0 गिर्राज ने तत्कालीन तहसीलदार से साज–बाज होकर मु0 गेंदी के इंतकाल विरासत सं. 161 में काट–छांट करवाकर तथा हमारे नाम को कटवाकर अपने आप को मु0 गेंदी के गोद जाना बताते हुए पिता मुतबन्ना का गलत इंद्राज कराया है। इसलिए हम अपीलांटान् तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दि. 03.12.1978 से पीड़ित पक्षकार है। इसलिए हम अपीलांटान् को अपील पेश करने की इजाजत प्रदान की जावें। | |

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

वकील अपीलांटान् द्वारा पेश प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दौहराते हुए निवेदन किया कि हम अपीलांटान् अनपढ़ व कानून से अनभिज्ञ है। अदालत या पंचायत की कार्यवाही से अनभिज्ञ रहे है। तहसीलदार राजगढ़ के आदेश जारी होने से पूर्व हमे कोई सूचना नहीं दी गई। रैस्पो. 1 जब इस आराजी को बेचने की बात करने लगी तो परता पुत्र भौरा नाई जो हमारे पिता के ही कुटुम्बी है। उन्होनें हमें सूचना दी। तब हमने रैस्पो0 1 से कहां कि हम तो अनपढ है। जमीन कैसे गिर्राज के नाम चली गई। तब परता पुत्र भौरा ने भाग दौड़ कर तहसीलदार रैणी में जाकर राजस्व रिकॉर्ड की तलाश कर इंतकाल सं. 161 जिसमें हम अपीलांटान् का नाम काट कर गिर्राज पिता मुतबन्ना गेंदी का नाम दर्ज किया हुआ था। जो जानकारी हमें दि0 13.03.2014 को हुई। उसी दिन नकल प्रा.पत्र पेश कर नकल पेश की गई। रैस्पो0 से कहां कि गलत अंकन को सही करवा दो। स्व0 गिर्राज को कभी भी हमारे माता–पिता ने गोद नहीं लिया था। ना ही कोई रस्म ही स्व0 गिर्राज उस समय करीब 18–19 साल का था। उन्होनें ही तहसीलदार से मिलकर फर्जकारी की है। जो गम्भीर आपराधिक कृत्य है। ऐसे शून्य आदेश को निरस्त करने के लिए मियाद कोई बाधा नहीं है। चूंकि हमें इस इंतकाल सं. 161 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम बार दि0 13.03.2014 को जानकारी हुई। अतः उपरोक्त परिस्थितियों व अंकित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक गौर करते हुए आदेश दि. 03.12.1978 से अपील पेश करने तक में व्यतीत हुई अवधि को माफ किया जाकर अपील अपीलांटान् अंदर मियाद शुमार की जावें।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

वकील रैस्पो. द्वारा प्रा0पत्र आदेश 41 नियम 27 को स्वीकार करने की सहमति जाहिर की गई। वकील रेस्पो0 द्वारा प्रा0पत्र इजाजत अपील को भी अपीलांट के पक्ष में स्वीकार की सहमति जाहिर की गई। वकील रेस्पो0 द्वारा प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम की बहस के दौरान निवेदन किया कि वकील अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय में दावा पेश किया हुआ है। जिसका मु.नं. 1/108/2007 उनवान कम्पूरी वगै0 बनाम लक्ष्मीदेवी वगै0 है। वकील

अपीलांटान् द्वारा विवादित इंतकाल की जानकारी दि0 13.03.2014 को होना बताया है। जबकि वकील अपीलांटान् द्वारा उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन दावे में उक्त इंतकाल का जिक्र किया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटान् को उक्त इंतकाल की जानकारी वर्ष 2007 से ही थी। अपीलांटान् द्वारा 36 साल बाद विवादित इंतकाल के विरूद्ध अपील दायर की है। जिसे कन्डोन करने का उचित कारण नहीं बताया है। अतः प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलांटान् खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वकील रैस्पो0 की सहमति के आधार पर प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 एवं अपील इजाजत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र की बहस पर मनन किया। वकील अपीलांटान् द्वारा पेश प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न पेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद कम्पूरी वगै0 बनाम लक्ष्मीदेवी वगै. की नकल का अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलांटान् द्वारा विवादित इंतकाल सं. 161 स्व0 गिर्राज प्रसाद के नाम दर्ज होने का जिक्र किया है। उक्त इंतकाल की अपील अपीलांटान् द्वारा 36 वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद पेश की गई है। जबकि अपीलांटान् को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में वाद पेश करने दि0 26.06.2007 से पूर्व ही उक्त इंतकाल की जानकारी थी। अपीलांटान् द्वारा लम्बे अंतराल के बाद अपील पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण पेश नहीं किया है। जबकि अपील में हुई देरी को कन्डोन करने के लिए दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। अतः अपीलांटान् द्वारा पेश प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अपीलांटान् खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**(द्वितीय) अलवर (राज0)**